5 रु. Rs. 5 भारत INDIA FIVE RUPEES पाँच रुपये 10 रु. COURT FEE Rs. 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

नि0 - 590 - II - 16

बुद्दे तनय कुटेले यादव ,

निवासी ग्राम अंनतपुरा , तह0 एवं0 जिला टीकमगढ़ म0प्र0

...............आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन **................. अनावेदक**

<u>निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 मू0 रा0 संहिता :—</u>

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 256 / बी121 / 2006—07 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक01 / 10/ 2012 से परिवेदित होकर कर रहा हैं।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 104 रकवा 1.26 हैक्टर म0 प्र0 शासन बंजर के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, उपरोक्त भूमि का ब्यवस्थापन आवेदक के पिता कुटेले तनय हिमती अहीर के नाम से तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रकरण कमांक अ—6 / 15 दिनांक 22 / 12 / 1966 के द्वारा खसरा नंबर 104 / 1 रकवा 0.405 हैक्टर का पटटा 1966—67 में प्रदान किया था तथा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में कुटेले का नाम भी तभी दर्ज हो गया था। उपरोक्त नाम 1966 से लगातार 1992—93 तक दर्ज रहा आया। सन 1992 में आवेदक के पिता कुटेले का स्वर्गवास हो गया। जिसके कारण वारिसान हक में नामांतरण पंजी कमांक 26 आदेश दिनांक 16 / 03 / 1992 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज हो गया। तदुपरांत बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के उपरोक्त भूमि बर्ष 1993—94 के खसरा में म0 प्र0 शासन दर्ज कर दी गई। जबकि आवेदक बर्तमान तक उपरोक्त भूमि पर काबिज है। जो म0 प्र0 शासन के नाम बर्ष 1997—98 तक दर्ज रही। उसके उपरांत 1997—98 में फर्जी तरीके से नामांतरण पंजी कमांक 63 प्र0 क0 67 / अ—19 / 74—75 आदेश दिनांक 08 / 10 / 1996 के द्वारा के द्वारा अनाधिकृत रूप से आवेदक के साथ साथ सुखलाल तनय धुंधु यादव का नाम भूमि स्वामी शामिल कर दिया गया। तथा बर्ष

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-590-II/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के प्र0क0 256/बी121/2006—07 में पारित आदेश दिनांक 01/10/2012 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। 2— आवेदक के बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। उनके द्वारा निगरानी साथ प्रस्तुत सूची अनुसार जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उनमें वादग्रस्त भूमि के संवत 2018 से लगातार 2007—08 तक के खसरा पांच साला की प्रमाणित प्रतियॉं हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत खसरों का अवलोकन किया। धारा 05 के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर बिलंब माफ किया गया। निगरानी समय सीमा में मान्य की गई। चूंकि प्रकरण में आवेदक द्वारा खसरा की सभी प्रमाणित प्रतियां तथा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, इस कारण प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा रहा है। बर्ष 1966—67 में ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 104 रकवा 1.26 हैक्टर म0प्र0 शासन बंजर के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, उपरोक्त भूमि का कुटेले तनय हिमती अहीर के नाम से तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0— अ—6/15 दिनांक 22/12/1966 के द्वारा खसरा नंबर 104/1 रकवा 0.405 हैक्टर का पटटा 1966—67 में प्रदान किया था, उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में कुटेले का नाम भी तभी दर्ज हो गया था। उपरोक्त नाम 1966 से लगातार 1992—93 तक दर्ज रहा। सन 1992 में कुटेले का स्वर्गवास हो गया। जिसके कारण वारिसान हक में बुद्दे के नाम नामांतरण पंजी क्रमांक 26 आदेश दिनांक 16/03/1992 के द्वारा नामांतरण हो गया। उपरोक्त भूमि बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के बर्ष 1993—94 के खसरा में म0 प्र0 शासन दर्ज कर दी गईं। जो म0 प्र0 शासन के नाम बर्ष 1997—98 तक दर्ज रही। उसके उपरांत 1997—98 में नामांतरण पंजी क्रमांक 63 प्र0 क067/अ—19/74	

कृ.प.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	/75 दिनांक 08/10/1996 के द्वारा के द्वारा आवेदक के साथ सुखलाल तनय धुंधु यादव के नाम भूमि स्वामी शामिल हक में दर्ज कर दी गई। बर्ष 1998–99 के खसरा में खसरा नंबर 104 जु0 रकवा 0.405 हेक्टर पर सुखलाल तनय धुंध यादव 1/8 हक तथा बुद्दे तनय कुटेले यादव 7/8 हक में उपरोक्त भूमि दर्ज कर दी गई, जो लगातार 2005–06 तक दर्ज रही। बर्ष 2006 में नामांतरण पंजी कमांक 26 पर तहसीलदार टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 21/08/2006 के द्वारा सुखलाल का नाम खारिज करके उसके स्थान पर बैनामा के आधार पर सुनील कुमार , अनिल कुमार का नाम दर्ज कर दिया गया। आवेदक का नाम उपरोक्त रकवा में 7/8 हिस्सा पर यथावत दर्ज रहा आया। 3– तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 256/बी121/2006–07 के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि तहसीलदार द्वारा उपरोक्त कार्यवाही किस धारा के तहत की गइ, किस आधार पर नाम पृथक किया गया। आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना भी नहीं पाया जाता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का पालन नहीं किया गया । 2011 रानि 273 डीवी कमला सिंह वनाम अलका सिंह में माननीय उच्च न्यायलाय द्वारा ब्यवस्था प्रदान की है कि "हितवद्व ब्यक्ति को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित नही किया जा सकता है।" इसी न्यायदष्टांत में ब्यवस्था प्रदान की है कि 115–116 की शक्तियों का प्रयोग एक साल के भीतर करना चाहिये। उपरोक्त भूमि का पटटा आवेदक के पिता को 1966–67 में प्रदाय किया गया था। 4– चूंकि आवेदक की ओर से तहसीलदार के आदेश दिनांक 08/10/96 की अबैधता के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण से यह तर्क मान्य करने योग्य नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर सुखलाल का नाम बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज किया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 01/10/2012 निरस्त कर निर्देशित किया जाता है कि वादभूमि पर पूर्ववत आवेदक का नाम दर्ज किया जाबे। प्रकरण का परिणम दर्ज कर संचित अभिलेख हो। सदस्य	